International Journal of Advanced Educational Research
ISSN: 2455-6157
Impact Factor: RJIF 5.12
www.educationjournal.org
Volume 3; Issue 2; March 2018; Page No. 277-278

सामाजिक समस्या में भारत : तीन तलाक मुद्दा

मनोज कुमार
राजनीति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।

प्रस्तावना

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से मानव समाज को एक संरचना के रूप में स्वीकार किया गया है। इस संरचना का निर्माण विभिन्न संस्थाओं तथा इकाइयों के अर्न्तसम्बन्धों द्वारा होता है। जब संरचना की सभी इकाइयाँ अपेक्षा के अनुसार कार्य करती रहती हैं तो संरचना का सन्तुलन बना रहता है, लेकिन जब संरचना का कोई भाग अपेक्षा के विपरीत कार्य करे तो असन्तुलन की दशा उत्पन्न होने लगती है। यहीं से समस्या की उत्पत्ति होती है तथा इसे हम असमान्य दशा कहते हैं। असमान्य दशा का प्रभाव नकारात्मक रूप में दिखाई देता है, अतः इस प्रकार की स्थिति असहनीय हो जाती है और इससे निपटने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। इन्हीं सामाजिक समस्याओं में महिलाओं की समस्या सर्वोपरि होती है चाहे वह किसी भी धर्म, जाति आदि की क्यों न हों। वर्तमान युग महिला सशक्तिकरण का युग है परन्तु फिर भी कहीं न कहीं पुरूष वर्ग की तुलना में महिला वर्ग कई प्रकार की यातनाओं का शिकार हो रही हैं। आज भी कई वर्गों में महिलाओं को वो दर्जा प्राप्त नहीं है जो उन्हें होना चाहिए। इन्हीं समस्याओं के बीच 'तीन तलाक' की समस्या से महिलाओं को गुजरना पड़ रहा है। हांलाकि न्यायपालिका की ओर से इस मुद्दे पर कड़े नियम अपनाये गये हैं लेकिन फिर भी यह समस्या अभी भी व्याप्त है।

चर्चा का कारण

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस्लाम धर्म में 1400 वर्ष पुरानी तीन तलाक की प्रथा पर 22 अगस्त, 2017 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 'एक साथ, एक बार में तीन तलाक' पर रोक लगा दी है। इस ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने 3:2 के बहुमत से कहा कि मुसलमानों के बीच इस तरह के तलाक का अभ्यास ''शून्य (Void)'' ''अवैध (illegal)'' और असंवैधानिक (Unconstitutional) हैं।

तीन तलाक पर निर्णय सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय की पाँच सदस्यों की संवैधानिक पीठ ने निर्णय दिया कि एक बार में तीन तलाक देना असंवैधानिक है। यह मुस्लिम पुरूषों को मनमाने रूप से तलाक देने की शक्ति प्रदान करता है और यह समानता के अधिकार का उल्लघंन है इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार में तीन तलाक पर छः महीने के लिए रोक लगाते हुए सरकार से कहा है कि वह तीन तलाक पर कानून बनाये। यदि सरकार द्वारा छः महीने में कानून नहीं बनाया जाता है तो तीन तलाक पर न्यायालय का आदेश जारी रहेगा।

स्मरणीय है कि 'तीन तलाक' महिलाओं के अधिकार का हनन है अथवा नहीं' के मुद्दे पर मई 2017 में पांच न्यायाधीशों की शीर्ष संवैधानिक पीठ द्वारा 11 मई से 18 मई तक छः दिनों की लगातार सुनवाई पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की इस पांच सदस्यीय पीठ में प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, न्यायाधीश कुरियन जोसेफ, न्यायाधीश यू यू ललित, न्यायाधीश अब्दुल नजीर और न्यायाधीश रोहिंग्टन एफ, नरीमन शामिल हैं।

तीन तलाक क्या है?

इस्लाम में विवाह जन्म–जन्मान्तर तक का बंधन नहीं बल्कि एक सिविल कान्ट्रैक्ट (अहदो पैमान) होता है, जिसके एवज में पुरूष, स्त्री के लिये 'मेहर' की रकम अदा करता है या उसका वादा करता है। इस्लाम विवाह में दोनों पक्षों की सहमति को बराबर सम्मान देता है एवं इसे निभाने की सैकड़ों हिदायतें देता है। कुरान ने निकाह को मीसाक–ए–गलीज़ (मजबूत समझौता) करार दिया है। लेकिन, यदि संबंधों के मध्य स्थिति ऐसी आ जाती है कि साथ रहना बिल्कुल संभव नहीं हो तो इस आशय की सख्त हिदायत के साथ शादी तोड़ने की अनुमति दी गई है। इसलिए इस्लाम में तलाक को सारे वैध (हलाल) कार्यों में सबसे बुरा कहा गया है।

मुस्लिम निजी कानूनों में संबंध विच्छेद के मूल रूप से आठ तरीके माने जाते हैं, जिनमें से एक तलाक है। इनमें से खुला, मुबारत, तलाके–तफवीज़, लियान तथा फस्ख–ए–निकाह महिलाओं के पक्ष में है, जबकि तलाक, इला तथा ज़िहर पुरूषों के पक्ष में है। तलाक भी तीन प्रकार का होता है –

1. **तलाक–ए–अहसन :** तलाक–ए–अहसन में पति अपनी पत्नी को तब तक तलाक दे सकता है जब उसका मासिक चक्र (तूहर) न चल रहा हो। इसके बाद करीब तीन महीने की समयावधि तक (जिसे इद्दत कहा जाता है) वह तलाक वापस ले सकता है। यदि ऐसा नहीं होता तो इद्दत के बाद तलाक को प्रभावी मान लिया जाता है, लेकिन इसके बाद भी यदि वे दोनों चाहें तो भविष्य में शादी कर सकते हैं। इसलिए इस तलाक को अहसन (सर्वश्रेष्ठ) कहा जाता है।
2. **तलाक–ए–हसन :** दूसरे प्रकार के तलाक को तलाक–ए–हसन (बेहतर) कहा जाता है। इसकी प्रक्रिया भी तलाक–ए–अहसन की तरह है, लेकिन इसमें पति अपनी पत्नी को इद्दत की समयावधि के दौरान तीन अलग–अलग बार तलाक कहता है। इस प्रक्रिया में तीसरी बार तलाक कहने के तुरंत बाद वह अंतिम मान लिया जाता है। ध्यातव्य है कि इसमें भी पति को अनुमति होती है कि वह इद्दत की समयावधि खत्म होने के पहले तलाक वापस ले सकता है। यह तलाकशुदा जोड़ा चाहे तो भविष्य में शादी कर सकता है, किन्तु उसे निकाह हलाला की प्रक्रिया का पालन करना होगा।
3. **तलाक–ए–बिद्दत :** तलाक का तीसरा तरीका तलाक–ए–बिद्दत है। इसके तहत पति तलाक शब्द को एक साथ तीन बार दोहरा देता है। इसके बाद शादी तुरंत टूट जाती है। इस तलाक को वापस नहीं लिया जा सकता। तलाकशुदा जोड़ा फिर हलाला के बाद ही शादी कर सकता है।

निकाह हलाला : शरिया के मुताबिक अगर पति ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है तो वह उसी से दोबारा तब तक शादी नहीं कर सकता जब तक की वह औरत किसी दूसरे पुरूष से शादी कर उससे तलाक न ले ले।

यदि स्त्रियों की बात करें तो वर्ष 1939 से पहले मुस्लिम महिलाएं केवल तीन आधारों पर तलाक ले सकती थीं–

अपने ऊपर लगाया गया व्यभिचार का आरोप झूठा साबित होने पर, पति के पागलपन और नपुसंकता की स्थिति में। मुस्लिम विवाह–विच्छेद अधिनियम, 1939 के बाद मुस्लिम स्त्रियों के इस अधिकार को बढ़ाया गया और उन्हें तलाक के अन्य आधार भी प्रदान किए गए, जैसे यदि –

पति चार वर्ष तक लापता हो, वह दो वर्ष तक पत्नी का भरण–पोषण करने में असफल रहा हो, पति को 7 वर्ष या इससे अधिक समय के लिए कैद की सजा हुई हो, तीन वर्षों से वैवाहिक कर्तव्यों का पालन नहीं किया हो, इत्यादि।

तीन तलाक पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय (22 अगस्त 2017)

पांच न्यायधीशों में से न्यायाधीश नरीमन, ललित और कुरियन ने अपने–अपने निर्णय में तीन तलाक को असंवैधानिक बताया जबकि भारत के प्रधान न्यायाधीश खेहर और न्यायाधीश नजीर ने अपने निर्णय में तीन तलाक की असंवैधानिकता के निर्णय को खरिज करते हुए पहली बार निजी कानूनों को मूल अधिकार का हिस्सा (धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत) घोषित किया। उन्होने कहा कि सभी राजनीतिक दल अपने मतभेदों को अलग रखकर इस विषय पर कानून बनाने के लिए केन्द्र की मदद करें। हम यह उम्मीद और आशा करते हैं कि ऐसे कानून में मुस्लिम पर्सनल लॉ का ख्याल रखा जायेगा। जैसा कि दुनिया के दूसरे इस्लामिक देशों में भी किया गया है। जब ब्रिटिश शासकों ने भारत में मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए कानून दिया और इन सुधारात्मक उपायों को मुसलमान समुदाय ने स्वीकार किया है तो हमें नहीं लगता कि आजाद भारत को इसमें पीछे रहना चाहिए। हम भारतीय संघ को आदेश देते हैं कि वह तलाक–उल–बिद्दत के मामले में उचित कानून लाने पर विचार करे, जिससे मुस्लिम निकायों और शरिया कानून की चिंताओं को भी ध्यान में रखें।

बहुमत के तीनों न्यायाधीशों (नरीमन, ललित, और कुरियन) ने कहा कि तीन तलाक के माध्यम से तलाक का अभ्यास स्पष्ट रूप से मनमाना है और संविधान का उल्लंघन करता है। चूंकि 1937 का शरीयत अधिनियम भी इस तरह के तीन तलाक को मानता है, लागू करता है अतः 1937 के एक्ट को असंवैधानिक घोषित किया जाता है। तीन तलाक सिर्फ इसलिए वैध नहीं ठहराया जा सकता कि यह प्रथा लंबे समय से चली आ रही है। कोर्ट ने शमीम आरा बनाम यूपी सरकार और अन्य मामले का भी संदर्भ लिया और कहा कि अनुच्छेद 141 के संदर्भ में शमीम आरा का मामला पूरे भारत मे लागू होता है। चूँकि तीन तलाक का यह रूप बिना किसी सुलह एवं मध्यस्थता के प्रयास के बिना मनमाने पूर्ण ढंग से लिया गया एकतरफा फैसला होता है, जो संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के मूल अधिकार (अनुच्छेद 14) का उल्लंघन है। अन्ततः फैसला 3:2 के बहुमत से तीन तलाक के असंवैधानिक होने के पक्ष में आया।

निष्कर्ष

इस बात से कोई संदेह नहीं है कि तीन तलाक से सम्बन्धित यह निर्णय समाज की प्रगतिशीलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समाज में प्रचलित कोई भी प्रथा जिसमें किसी भी प्रकार के भेदभाव या अन्याय की जरा भी गुन्जाइश हो, उस का उन्मूलन होना ही चाहिए और यही सभ्य होते समाज की प्राथमिक शर्त भी होती है।

यद्यपि तलाक पर सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान निर्णय कई अर्थों में ऐतिहासिक एवं प्रगतिशील है। इसमें निजी कानूनों, परंपरा और लैंगिक वर्चस्व की लड़ाई को काफी हद तक संबोधित किया गया है। परन्तु यह अपने मूल उद्देश्यों की प्राप्ति में तभी सफल हो सकता है जब इस मामले में विधायिका भी आगे आए और ऐसी परम्पराओं के विरूद्ध कानून बनाए। हमारा समाज तभी इन सब से ऊपर उठ सकता है जब हम अपनी पारम्परिक सोच का खण्डन कर वास्तव में सामाजिक ढंग से उस पहलू के बारे में चिन्तन करें जो कि समयाकालिक समाज के आडम्बरों का खण्डन करता हो।

संदर्भ

1. दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे, जनवरी 2017 अंक लेख (तीन तलाक, बहुविवाह और निकाह हलाला : क्या इनकी समाप्ति का समय आ गया है)
2. दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे, फरवरी 2018 अंक (मुस्लिम वूमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल)
3. समसामयिकी क्रानिकल, अक्टूबर 2017 अंक, लेख (तीन तलाक प्रथा : असंवैधानिक)
4. दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे, नवम्बर 2017 लेख (न्यायिक परिप्रेक्ष्य में तीन तलाक)
5. डॉ0 सुरेश चन्द्र राजोरा, समकालीन भारत की सामाजिक समस्याएँ, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी प्रकाशन, 2010
6. हिन्दुस्तान समाचार पत्र, 2 अप्रैल 2018, आदि समाचार पत्र।
7. डॉ0 दुर्गादास बसु, भारत का संविधान : एक परिचय, लेक्सिस नेक्सिस प्रकाशन, हरियाणा, 11वां संस्करण 2015